



2026:AHC: 59559

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 12200/2024

पुनीत कुमार पटेल

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

---

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता  | : इम्तियाज अली, शैलेश नारायण उपाध्याय                     |
| प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता | : अखिलेश भारती, शासकीय अधिवक्ता, कमलेश प्रसाद, मनोज कुमार |

---

**न्यायालय संख्या- 53**

**माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद**

- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और विपक्षी संख्या 2/शिकायकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
- वर्तमान आपराधिक अपील, थाना उत्तरांव, जिला प्रयागराज के मुकदमा अपराध संख्या 20 वर्ष 2023 से उत्पन्न विशेष सत्र परीक्षण संख्या 207 वर्ष 2024 राज्य बनाम रमेश पटेल और अन्य में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324, 504, 506, 308, 406 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2)(व) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम प्रयागराज द्वारा पारित सम्मन आदेश दिनांक 05.08.2024 के विरुद्ध और आरोप पत्र दिनांक 30.12.2023 को रद्द करने के लिए दाखिल की गई है।
- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त को दिए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 31.01.2023 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जिसमें अपीलार्थी पुनीत कुमार पटेल सहित तीन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का अनुरोध किया गया था।

4. शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि 04.01.2023 को सुबह लगभग 10 बजे जब प्रथम सूचनादाता सब्जी खरीदने के लिए बाहर गया था, तब वह एक देशी शराब की दुकान पर अभियुक्तों से मिला। शराब पीने के बाद, रमेश कथित तौर पर ई-रिक्षा से जगतपुर की ओर चला गया, जहां सह-अभियुक्त पुनीत कुमार पटेल और अरुण ने उसका मोबाइल फोन मांगने को कहा। इनकार करने पर, उन्होंने कथित तौर पर धारदार हथियारों से उस पर हमला किया। बाद में, शिकायतकर्ता बेहोश हो गया और उसने स्वयं को स्वरूपरानी अस्पताल में पाया।

5. सहायक पुलिस आयुक्त हंडिया के निर्देश पर 31.03.2023 को, वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट 10.02.2023 को अपीलार्थी सहित तीन व्यक्तियों के विरुद्ध थाना उत्तरांव, जिला प्रयागराज में मुकदमा अपराध संख्या 20 वर्ष 2023, भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324, 504, 506, 308, 406 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(व) के अंतर्गत दर्ज की गई थी।

6. शिकायत के अनुसार, घटना की तिथि 04.01.2023 बताई गई है, प्रार्थना पत्र 31.01.2023 को दिया गया था। तत्पश्चात, 26 दिन के विलंब से 01.02.2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस विलंब के लिए कोई उचित और तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। घटना झूठी, मनगढ़ंत और कल्पित प्रतीत होती है।

7. विवेचना अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कही गई बात को ही दोहराया है और उसमें और सुधार किया है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सत्य तथ्य यह है कि घायल/शिकायतकर्ता एक शराबी है और शराब पीने के बाद, वह एक मोटर दुर्घटना का शिकार हो गया था। सह-अभियुक्त रमेश पटेल ने उसे सहायता प्रदान की और वह जानबूझकर घायल से नहीं मिला था। सह-अभियुक्त रमेश पटेल ने घायल की मदद केवल मोटर दुर्घटना के कारण की क्योंकि घायल सड़क पर पड़ा था और सह-अभियुक्त रमेश ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसे अस्पताल में भर्ती कराया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. विवेचना अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत शिकायतकर्ता की पत्नी का बयान दर्ज किया है जो कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। उसने बताया कि रमेश घायल को घर लाया और बताया कि चोटें दुर्घटना के कारण लगी थीं। मामले के विवेचना अधिकारी द्वारा एक जितेंद्र भारतीय सूचनादाता का साला का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किया गया बयान झूठा और मनगढ़ंत है और उसने अपीलार्थी के विरुद्ध पूरी तरह से झूठा मामला बनाया है। विवेचना अधिकारी ने एक औषधालय चलाने वाले श्री सुरेश कुमार का बयान भी दर्ज किया है। उसने बताया कि उसे सटीक तिथि याद नहीं है लेकिन याद है कि शाम लगभग 6.00 बजे, सह-अभियुक्त रमेश पटेल घायल को औषधालय लाया था। उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद, उसने उसे अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। उसने आगे बताया कि वह सह-अभियुक्त रमेश को अच्छी तरह से जानता है और उसका घर औषधालय से 300 मीटर से अधिक दूर स्थित है।

10. चोटों की चिकित्सा रिपोर्ट और पूरक रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट में एनएडी कोई असामान्यता नहीं उल्लिखित है। आरोप पत्र दिनांक 30.12.2023 से यह प्रतीत होता है कि विवेचना अधिकारी ने अपीलार्थी सहित तीन व्यक्तियों के विरुद्ध एक झूठा, मनगढ़ंत और कल्पित आरोप पत्र प्रस्तुत किया है।

11. विद्वान विचारण न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना और किसी भी प्रथम दृष्टया साक्ष्य के अभाव में परिणामस्वरूप सम्मन आदेश दिनांक 05.08.2024 पारित किया।

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने स्नातकोत्तर शल्य चिकित्सा विभाग एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज द्वारा वरिष्ठ रेजीडेंट शल्य चिकित्सा विभाग डॉ. रोहित सिंह द्वारा जारी अनुलग्नक संख्या 7/पूरक रिपोर्ट पर भरोसा किया है जो इस प्रकार है:

मरीज श्याम चंद्र, 35 वर्ष, पुरुष, पुत्र स्वर्गीय बेचन लाल, निवासी दादूपुर मोतिहा, थाना उत्तरांव प्रयागराज को 04.01.2023 को रात 10.38 बजे सड़क यातायात दुर्घटना के कथित इतिहास के कारण सिर में चोट तथा दाहिने कान के पास के क्षेत्र और बाएं गाल के निचले जबड़े के क्षेत्र में चोट के लिए चिकित्सा विधिक चोट के मामले के रूप में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज का इलाज इंट्यूबेशन और घाव में टांके लगाकर तथा आईवी एंटीबायोटिक्स, मिर्गी-रोधी एनाल्जेसिक और अन्य सहायक उपायों द्वारा किया गया। मरीज की स्थिति में सुधार हुआ और उचित सलाह और नियमित फॉलो-अप के साथ 23.01.2023 को उसे छुट्टी दे दी गई।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से यह प्रस्तुत किया है कि घायल को दुर्घटना के कारण चोटें आई हैं। उसे 04.01.2023 को चोटें आई हैं और उसे 23.01.2023 को एम.एल.एन. मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से छुट्टी दे दी गई। पूरक चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, यह विशेष रूप से उल्लिखित है कि उसे सिर में चोट की सड़क यातायात दुर्घटना के कथित इतिहास के कारण 04.01.2023 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि घायल की आंख पर किसी चोट का कोई संदर्भ नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि ऐसा कोई संदर्भ नहीं है कि घायल को उसकी आंख के संबंध में किसी भी आगे के उपचार के लिए किसी उच्च विभाग में भेजा गया हो।

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा **आपराधिक अपील संख्या 12117 वर्ष 2024 रमेश पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, निर्णीत 16.02.2026: 2026 :एएचसी: 33862** में पारित निर्णय पर भी भरोसा किया है, जो इस मामले के सह-अभियुक्त अर्थात् रमेश पटेल से संबंधित है, जिसके विरुद्ध वर्तमान विशेष सत्र परीक्षण संख्या 207 वर्ष 2024 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाहियां एतद्वारा रद्द की जाती हैं।

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा **अलका सेठी और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य, 2024 3 एसीआर 158** में स्थापित विधि पर भी भरोसा किया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि इस वाद की कार्यवाहियां रद्द की जाएं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार धारदार हथियार से चोटें आई हैं, लेकिन घायल के शरीर पर धारदार घाव की कोई चोट नहीं पाई गई है।

16. विपक्षी संख्या 2/सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रति शपथपत्र दाखिल किया है और प्रस्तर संख्या 6 पर भरोसा किया है जिसमें कहा गया है कि *उक्त घटना में, आवेदक ने अपनी बाईं आंख की रोशनी खो दी, वह एम्स दिल्ली में उपचार के अधीन है, जहां डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से राय दी कि उसने उक्त चोट के कारण अपनी बाईं आंख की रोशनी खो दी है।*

17. अनुलग्नक संख्या सीए-2 में, यह उल्लिखित है कि डिस्चार्ज टिकट घायल के जनरल सर्जरी विभाग द्वारा जारी किया गया है, भर्ती की तिथि 04.01.2023 है और छुट्टी की तिथि 23.01.2023 है तथा इसमें निम्नानुसार उल्लिखित है:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मरीज का इलाज आईवीएफ एंटीबायोटिक, एंटासिड और एंटीसेप्टिक द्वारा किया गया। मरीज जीसीएस ई1वी1एम2 और दाहिने कान के पास के क्षेत्र तथा बाएं गाल के निचले जबड़े के क्षेत्र में कटे हुए घाव के साथ उपस्थित हुआ। मरीज का इलाज इंट्यूबेशन और बैग एवं मास्क वेंटिलेशन तथा छोटे घावों में टांके लगाकर एवं ड्रेसिंग करके किया गया। मरीज की स्थिति में सुधार हुआ और उचित सलाह और नियमित फॉलो-अप के साथ 23.01.2023 को छुट्टी दे दी गई।

प्रणालीगत परीक्षण- सीएनएस- भर्ती के समय

जीसीएस-ई1वी1एम2 पुतली सिकुड़ी हुई और कोई प्रतिक्रिया नहीं।

छुट्टी के समय

सीजीएस-ई4वी5एम6 पु

तली- दाहिनी आंख कोई प्रतिक्रिया नहीं

बाईं आंख- फैली हुई और धीमी।

सीयूएस एसएम2+ नोमार्मस

एनएस- बी/एल

पी/ए कोमल दर्द रहित।

इतिहास-

मरीज सड़क यातायात दुर्घटना के इतिहास के साथ 04.01.2023 को शाम 6.00 बजे उपस्थित हुआ।

दाहिने कान के पास के क्षेत्र में कटा हुआ घाव 7सेमी x 1सेमी, बाएं गाल के निचले जबड़े के क्षेत्र में कटा हुआ घाव 7 x 1सेमी। चोट लगने के समय से ही चोट के स्थान पर दर्द और खून बहना। चोट के बाद से बाईं आंख में दृष्टि का पूर्ण नुकसान। सामान्य परीक्षण। वाइटल सामान्य, पीआर-84 एसपीओ2-99% बीपी-126/84 एमएमएचजी एडिमा।



18. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने घायल की चोटों पर आगे भरोसा किया है जो इस प्रकार हैं:

3 लोगों द्वारा हमला किए जाने की शिकायत सिर में आघात और चाकू की चोटें।

04.01.2023

मरीज कान के पास के क्षेत्र और निचले जबड़े के क्षेत्र के लिए बाएं गाल पर कटे हुए घाव, दर्द और चोट के स्थान पर खून बहने के साथ उपस्थित हुआ।

पुतलियां कोई प्रतिक्रिया नहीं।

वे 07.02.2023 को अस्पताल में उपस्थित हुए जहां उन्हें दृष्टि के नुकसान और बाईं ऊपरी पलक के विकास के साथ देखा गया। दाहिनी आंख में एलआर पाल्सी मौजूद थी।

बाईं आंख की ऑप्टिक एट्रोफी का निदान किया गया।

19. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने चिकित्सा रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है जो इस प्रकार है:

सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक

वी.एम.एम.सी. और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली-

110029,

परामर्श कक्ष संख्या 223, टोकन संख्या: 15,

क्लिनिक न्यूरोलॉजी क्लिनिक,

दिन: सोम, गुरु,

ईएचआर आईडी: 23000266012989938,

बाह्य रोगी रिकॉर्ड,

नाम श्री श्याम चंद्र,

विभाग: न्यूरोलॉजी,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विभाग संख्या: 2023/077/0003480,

पंजीकरण की तिथि: 23.02.2023, 08.43 पूर्वाह्न,

आयु: 37 वर्ष/पुरुष 9 दिन,

पता: बदरपुर, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली, भारत,

पुत्र बेचन लाल,

द्वारा तैयार: श्रीमती एसएसबीडीईओ दीपशिखा, ओपीडी।

4/जनवरी/2023 को हमले का इतिहास,

घटना के बाद बाईं आंख की रोशनी जाने की शिकायत,

दाहिने चेहरे की कमजोरी की शिकायत,

दाहिने कान में हल्का सुनने की शिकायत।

परीक्षण करने पर- दाहिनी 6/7वीं एलएमएन पाल्सी +,

दाहिनी वी2 संवेदी हानि 30-40%, को

ई लंबा ट्रैक्ट संकेत नहीं,

पुतली-बाईं आरएपीडी।

सलाह-

1. पीटीए

2. यूएसजी के साथ मस्तिष्क का सीईएमआरआई।

20. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से पुनीत कुमार पटेल और अरुण पटेल की भूमिका निर्धारित की है कि उन्होंने उसकी आंख पर मुक्का मारा था और धारदार हथियार से भी मारा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विलंब, यदि कोई हो, तो इसे विचारण के प्रक्रम पर देखा जाना है और घायल को जाति संबंधी टिप्पणियों से भी संबोधित किया गया और गालियां दी गईं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



21. रमेश पटेल उपरोक्त का वाद इस वाद से बिल्कुल भिन्न है। रमेश पटेल उपरोक्त में विद्वान न्यायालय द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी/सूचनादाता ने कहा है कि अन्य दो अभियुक्तों ने उससे 1500 रुपये लिए लेकिन उन्होंने वापस नहीं किए। अपीलार्थी के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है और साथ ही कथित घटना में अपीलार्थी की संलिप्तता का सुझाव देने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। अपीलार्थी/पुनीत कुमार पटेल की भूमिका विशेष रूप से निर्धारित की गई है।

22. घायल की आंख पर मुक्के से मारने की विशिष्ट भूमिका है और तब से उसका उपचार चल रहा है। स्तर प्रक्रम पर न तो कोई लघु विचारण और न ही कोई सूक्ष्म साक्ष्य संभव है।

23. उपर्युक्त तथ्यों, कारणों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान आपराधिक अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

**23 मार्च, 2026**

के.के. मौर्य

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)